कुलाधिपति
त्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
HANCELLOR
HATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

f. No. ....

Date ....

संख्याः ई0स0– 3190 /जी0एस0   दिनांकः 23 / 3 / 2007

आदेश

बी0 एन0 डिग्री कालेज शाहाबाद, हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यकम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा–37(2) के ''परन्तुक'' के अधीन शिक्षण सत्र 2004–05 हेतु एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–4607/70–2–2004–3 (19) /2004 दिनांक 4–1–2005 के कम में मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा संस्था की जांच करायी गयी। जांच के समय संस्था में पायी गयी कमियाँ/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(9) के अन्तर्गत समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

उल्लेखनीय है कि मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल की जॉच आख्या एवं शासन के अभिमत के अवलोकनोपरान्त संस्था में विद्यमान कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन व्दारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से जॉचोपरान्त आख्या मांगी गयी।

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 01–12–2005 के द्वारा संस्था की निरीक्षण आख्या प्राप्त हुई जिसके अनुसार संस्था में बी0एड0 पाठ्यकम के संचालन में निम्नलिखित कमियाँ/ अनियमिततायें पाई गई थीः–

1– महाविद्यालय द्वारा 04 शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुमोदन तो कराया गया परन्तु जॉच के बाद यह पाया गया कि 02 शिक्षक न्यूनतम् योग्यता धारित नहीं हैं। महाविद्यालय में मात्र 02 शिक्षक ही नियमों के अनुरुप योग्यता धारित कार्यरत हैं। महाविद्यालय में 05 शिक्षकों की कमी है।

महाविद्यालय में उपर्युक्त अनियमिततायें/कमियाँ विद्यमान होने के कारण विश्वविद्यालय ने सत्र 2005–06 हेतु बी0एड0 पाठ्यकम में सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की तथा शासन द्वारा भी जांच आख्या के कम में संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की गयी। विधिक रूप से सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने का अन्तिम अधिकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निहित है एवं चूँकि उक्त संस्था के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा कोई सकारात्मक प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था। अतः विश्वविद्यालय की प्राप्त आख्या के सम्यक परीक्षणोपरान्त बी0एन0 डिग्री कालेज, शाहाबाद, हरदोई को आदेश संख्याः ई0स0–364/जी0एस0 दिनांक 08–03–2006 के व्दारा बी0एड0

डा० एस० के० मेहरा / Dr. S. K. Mehra
मु०चि०अधि०एन०एफ०एस०जी०/CMO NFSG
मेडिकल सेंटर / C G H S Med. Centre
संसदीय सौध / P. H. Annexe New Delhi